vinetur

लातविया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शराब की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष करने का प्रस्ताव दिया

लातविया की व्यापक योजना में शराब के विज्ञापन और पेट्रोल पंपों पर बिक्री पर रोक शामिल है ; अधिकतर बदलाव 2028 से लागू करने का प्रस्ताव है

शुक्रवार, 20 नवंबर 2026



लातविया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए प्रतिबंधों के एक पैकेज के तहत शराब खरीदने और सेवन करने की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष करने, शराब के विज्ञापन पर रोक लगाने और पेट्रोल पंपों पर शराब की बिक्री बंद करने का प्रस्ताव दिया है। इस पैकेज की समीक्षा की जा रही है।

मंत्रालय ने गुरुवार, 19 नवंबर को इस योजना को अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए भेजा। यह परामर्श 2 दिसंबर तक चलेगा। प्रस्तावों को अभी सरकार की मंजूरी मिलनी बाकी है।

मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य बदलाव 1 जनवरी, 2028 से लागू होंगे। सभी मादक पेय खरीदने और उनका सेवन करने की कानूनी न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 20 वर्ष की जाएगी। साथ ही, 18 और 19 वर्ष के युवाओं को निजी इस्तेमाल

के लिए शराब अपने पास रखने की भी मनाही होगी। मंत्रालय अन्य लोगों को भी इस आयु वर्ग के लोगों को शराब पीने के लिए शामिल करने से रोकना चाहता है, जिसमें उन्हें शराब देना भी शामिल है। व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान पर्यवेक्षक की मौजूदगी में एक अपवाद लागू होगा।

मंत्रालय का कहना है कि केवल स्पिरिट्स के लिए उम्र की अधिक सीमा तय करने के बजाय सभी मादक पेयों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष रखना बेहतर होगा। उसका तर्क है कि इस आयु वर्ग के युवा आम तौर पर बीयर, वाइन और साइडर का भी सेवन करते हैं। स्वास्थ्य जोखिम केवल पेय की ताकत पर नहीं, बल्कि कुल कितनी मात्रा में इथेनॉल लिया जाता है, पीने की आवृत्ति और सेवन के तौर-तरीकों पर भी निर्भर करते हैं।

रिपोर्ट में आंशिक रूप से नागरिकों की '21 साल की उम्र से शराब' नामक याचिका पर जवाब दिया गया है, जिसमें उम्र सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। मंत्रालय ने कहा कि यूरोपीय संघ के किसी भी सदस्य देश में शराब खरीदने की एक समान न्यूनतम उम्र 21 वर्ष नहीं है। उसका निष्कर्ष है कि लातविया के लिए 20 वर्ष की एक समान उम्र अधिक उपयुक्त होगी, बशर्ते इसके साथ उम्र की अधिक सख्त जांच, मूल्य संबंधी उपाय, रोकथाम के प्रयास और शराब की भौतिक उपलब्धता तथा प्रचार पर कड़े प्रतिबंध भी लागू हों।

प्रस्ताव उम्र सीमा से आगे भी जाता है। मंत्रालय शराब के विज्ञापन पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग कर रहा है। इसमें सभी माध्यमों पर ब्रांड का विज्ञापन शामिल होगा, जबकि बिक्री प्रचार पर मौजूदा प्रतिबंध जारी रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार, आंशिक प्रतिबंधों से शराब के ब्रांड प्रायोजन, डिजिटल मार्केटिंग और संचार के अन्य तरीकों के जरिए लोगों की नजरों में बने रह सकते हैं।

इस पैकेज के तहत मनोरंजन और खेल आयोजनों के ऐसे प्रायोजन पर भी रोक लगेगी, जिनमें प्रायोजन संबंधी जानकारी मादक पेयों, शराब के ब्रांडों या शराब के सेवन का उल्लेख करती हो। मंत्रालय ने कहा कि इसके लिए लातविया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कानून में संबंधित संशोधन करने होंगे।

एक अन्य उपाय के तहत पेट्रोल पंप परिसर में या उनसे कार्यात्मक रूप से जुड़े पास के परिसरों में खुदरा शराब बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। मंत्रालय दुकानों में शराब की दृश्यता घटाने के लिए नए नियम भी चाहता है, जिन्हें उसने संतुलित और व्यावहारिक बताया है।

उद्योग के उत्पादकों और विक्रेताओं के लिए, प्रस्तावों के मंजूर होने पर बीयर, वाइन और स्पिरिट्स बाजार में व्यावसायिक स्थितियां सख्त हो सकती हैं, क्योंकि विज्ञापन के विकल्प और कुछ खुदरा बिक्री माध्यम सीमित हो जाएंगे। मंत्रालय की रिपोर्ट में मूल्य संबंधी आगे के उपायों की संभावना का भी उल्लेख है, खासकर कम कीमत वाली शराब के लिए।

इसके अलावा, मंत्रालय 1 जनवरी, 2029 से शराब की पैकेजिंग पर लेबलिंग की नई शर्तें लागू करने का प्रस्ताव दे रहा है। इन नियमों के तहत स्वास्थ्य पर शराब के हानिकारक प्रभावों और कैंसर के जोखिम के बारे में चेतावनियां देना अनिवार्य होगा। गर्भावस्था के दौरान या वाहन चलाते समय शराब न पीने की चेतावनी भी देनी होगी। रिपोर्ट में सामग्री और पोषण संबंधी अतिरिक्त जानकारी देने की मांग की गई है, हालांकि इसमें वाइन उत्पादों और छोटे शराब उत्पादकों के लिए कुछ छूट का भी उल्लेख है। लेबलिंग में इन बदलावों के लिए यूरोपीय आयोग के साथ समन्वय करना होगा।

मंत्रालय की रिपोर्ट में शराब पर पहले लागू किए गए उन नियंत्रणों की भी समीक्षा की गई है, जो 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी हुए थे। उस तारीख से लातविया में परिसर के बाहर उपभोग के लिए खुदरा शराब बिक्री सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक और रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक की जा सकती है। ऑनलाइन और अन्य दूरस्थ बिक्री में ऑर्डर दिए जाने के कम से कम छह घंटे बाद ही शराब की डिलीवरी की जा सकती है, और डिलीवरी की अनुमति बिक्री के निर्धारित समय के भीतर ही है। उसी समय लागू किए गए नियमों में कीमतों और छूट के विज्ञापन के साथ-साथ बिक्री प्रचार की कई प्रथाओं पर भी पाबंदियां लगाई गई थीं।

इन उपायों की समीक्षा के बाद मंत्रालय ने कहा कि इन्हें जारी रखा जाना चाहिए और इनका मूल्यांकन करते रहना चाहिए। रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोपीय क्षेत्रीय कार्यालय का विश्लेषण भी शामिल है। उसके अनुसार, 1 अगस्त, 2025 के बाद के पांच महीनों में शराब के सेवन से सीधे तौर पर जुड़ी वजहों से हुई मृत्यु दर 27% कम रही, जबकि पुराना रुझान जारी रहने पर इसके इतना रहने की उम्मीद नहीं थी।

हालांकि, रिपोर्ट का कहना है कि शराब पीने, बीमारी, चोटों या मौतों पर प्रतिबंधों के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में ठोस निष्कर्ष निकालने के लिए अवलोकन की अवधि अभी बहुत कम है। इसमें यह भी कहा गया है कि उपलब्ध आंकड़ों से प्रतिबंधों के प्रभाव को अन्य कारकों से पूरी तरह अलग करके नहीं देखा जा सकता।

मंत्रालय के आर्थिक आकलन के अनुसार, अगस्त 2025 से मार्च 2026 के बीच लातविया में उपभोग के लिए जारी किए गए मादक पेयों और बीयर की मात्रा एक साल पहले की इसी अवधि की तुलना में 6.6% कम थी। लेकिन मंत्रालय ने कहा कि यह गिरावट हालिया प्रतिबंध लागू होने से पहले ही शुरू हो गई थी और बाजार पर उत्पाद शुल्क में बदलाव, महंगाई, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति तथा अन्य आर्थिक परिस्थितियों का भी असर पड़ा। इसलिए रिपोर्ट के मुताबिक, बिक्री में आई कमी का कारण केवल शराब संबंधी नियंत्रणों को नहीं माना जा सकता।

रिपोर्ट में पाया गया कि मादक पेयों और बीयर से उत्पाद शुल्क की आय पिछली तुलनीय अवधि के लगभग समान स्तर पर रही, क्योंकि ऊंची कर दरों ने बिक्री की कम मात्रा के असर की भरपाई कर दी।

बाजार पर आर्थिक प्रभाव सभी क्षेत्रों में एक जैसा नहीं रहा। मंत्रालय के अनुसार, रिपोर्ट में कुछ विशिष्ट खुदरा विक्रेताओं, दूरस्थ बिक्री के कारोबार और छोटे क्षेत्रीय स्टोरों पर अधिक असर पाया गया, जबकि खुदरा क्षेत्र के समग्र आंकड़ों में पूरे उद्योग में एक समान गिरावट नहीं दिखी।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि प्रतिबंध लागू होने के बाद से लातविया में शराब की कीमतें घटी हैं, जबकि लिथुआनिया और एस्टोनिया में बढ़ी हैं। इसके आधार पर मंत्रालय ने विशेष रूप से बेहद सस्ती शराब की उपलब्धता घटाने के लिए अतिरिक्त मूल्य संबंधी उपायों पर विचार करने की सिफारिश की।

नियामकों ने मौजूदा नियमों के पालन और उनकी व्याख्या में भी समस्याओं की जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि निगरानी के दौरान शराब पर छूट का विज्ञापन करने, हैप्पी आवर प्रचार और बंडल ऑफर देने, कानूनी बिक्री समय का ऑनलाइन उल्लंघन करने और अवैध वितरण माध्यमों के मामले सामने आए। इसलिए मंत्रालय ने अधिक कड़ी निगरानी का प्रस्ताव दिया है, खासकर दूरस्थ बिक्री के लिए अनिवार्य छह घंटे की प्रतीक्षा अवधि के पालन की जांच के लिए।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उसने यह रिपोर्ट अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालयों से मिली जानकारी के आधार पर तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोपीय क्षेत्रीय कार्यालय और लातविया के रोग रोकथाम एवं नियंत्रण केंद्र के सहयोग से तैयार की। परामर्श अवधि 2 दिसंबर को समाप्त होने के बाद प्रस्तावों को विचार के लिए सरकार के पास भेजा जाना है।